



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22846

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 420/2026

श्रीमती केला एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: रितेश शर्मा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश शर्मा, राज्य के प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री रवि सिंह परिहार और प्रत्यर्थी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह को सुना।
2. वर्तमान जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है: "परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह अपने पास लंबित द्वितीय अपील संख्या 4753/2024 (श्रीमती केला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिलाधिकारी बुलंदशहर एवं अन्य) को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक निश्चित अवधि के भीतर तय करे।"
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यू.पी.जेड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 229-बी / 122-बी (4-एफ) के तहत कार्यवाही से उत्पन्न याचिकाकर्ता की ओर से दायर उपरोक्त द्वितीय अपील वर्ष 2022 से राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि द्वितीय अपील अभी स्वीकार (एडमिट) नहीं की गई है, लेकिन विचारण न्यायालय/प्रथम अपीलीय न्यायालय के अभिलेख मंगवा लिए गए हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मामले की आदेश शीट की प्रति याचिका के संलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न की गई है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामला शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ रहा है।
4. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वह कानून के अनुसार पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्त द्वितीय अपील संख्या 4753/2024 (श्रीमती केला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिलाधिकारी बुलंदशहर एवं अन्य) को, अपने समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से तय करे।
5. तदनुसार, रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

रमीज

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"